5.10.19

पत्रावली पेश। वकील वादी उपस्थित हैं। पत्रावली का आद्योपान्त गहन अवलोकन एवं मनन किया। वादी द्वारा वादपत्र में अंकित तथ्य, मौखिक/अभिलेख प्रस्तुत साक्ष्यादि का प्रकरण के संबंध में सम्यक विचार किया।

बहस विद्वान अधिवक्ता वादी पर मनन किया। उनके द्वारा दौरान बहस प्रस्तुत तर्कादि पर सम्यक विधिसंगत विचार किया।

दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता वादी का कथन है, कि खसरा नम्बर 628 की कृषि भूमि पर वादी पारिवारिक

05/10/19

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	बिक्रयनामा के समय से ही काबिज 36-37 सालों से काश्त करता चला आ रहा है। उक्त भूमि पर 1/3 के 1/2 हिस्से पर प्रतिवादी नं.1 का नाम दर्ज रह जाने से वह उक्त भूमि को हड़पना चाहता है। प्रति० नं. 1 स्वयं जानता है, कि यह भूमि उसकी नहीं है। इस कारण वह हाजिर अदालत भी नहीं आया है। वादी द्वारा शपथ-पत्र प्रस्तुत किये हैं। पूर्व में प्रतिवादी नं. 1 द्वारा वादी के विरुद्ध वाद प्रस्तुत किया था जो दिनांक 31.5.17 को खारिज किया जा चुका है।	
	वादी का उक्त भूमि पर एकमात्र कब्जाकाश्त है। प्रतिवादी को खास आपत्ति नहीं है अतः वादी का वाद स्वीकार किया जाकर ख० नं. 628 पर प्रति० नं. 1 का 1/6 हिस्सा निरस्त करवाया जाकर वादी को हिस्सा 1/3 का खातेदार घोषित किया जाकर प्रति० 1 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबंद किया जावें।	
	हमने प्रकरण के गुणावगुण पर विचार किया। प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत कोई वाद खारिज हो जाने से वादी को कोई अतिरिक्त अधिकार प्रोद्भूत हो जाते हो ऐसा प्रमाणित नहीं है।	
	खसरा नं. 628 वाला नम्बर 68 की भूमि पारिवारिक बिक्रयनामा में वादी को प्राप्त हुई हो तथा वादी ही उक्त भूमि पर एकमेव काबिज काश्त हो या 1/3 हिस्से पर एकमेव काबिज हो ऐसा कोई दस्तावेज पेश नहीं	

Scanned by CamScanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व अहकाम हुक्म में
	किया है। प्रथम तो वादी द्वारा जो दस्तावेज पेश किये हैं, वे बतौर साक्ष्य ग्राह्य नहीं है यदि उन्हें थोड़ी देर के लिये साक्ष्य में मान भी लिया जाता है, तो ऐसे कोई प्रमाण नहीं है, जिसके आधार पर यह तय किया जा सके कि वादग्रस्त उक्त ख०नं० 628 रकबा 1.38 हे० के हिस्सा 1/6 से प्रतिवादी-1 के खातेदारी हक समाप्त हो गये हो तथा वादी को प्रतिवादी-1 के स्थान पर हि० 1/6 के सहित हिस्सा 1/3 पर खातेदारी अधिकार प्रोद्भूत हो गये हो। मात्र कथनाधार पर वादी को वांछित अनुतोष दिया जाना विधिसंगत नहीं है।	
	अतः गुणावगुण के आधार पर दावा वादी पोषणीय नहीं होने से खारिज किया जाता है। डिक्री जारी हो।	
	फायल की नियति में गणना की जाकर प्रविष्ठ लेख भण्डार हो।	
	निर्णय आज दि० 4-10-19 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर विवृत न्यायालय में सुनाया गया।	
	4/10/19 (चिमन लाल मीना) R.A.S.	

Judl/Civil
Part IV-10

डिकरी ब मुकद्दमे इब्तदाई

(ऑर्डर 20, रूल 6-7, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code, Appendix 'D'-1)

अज अदालत— उपखण्ड अधिकारी —मुकाम— रामगंजमण्डी

ब इजलास— चिमनलाल मीणा (R.A.S.)

शालूलाल बनाम काशीराम

दावा बाबत— 88.89.R.T. Act 1955

मुकद्दमा नं. 1689 सन् 2016

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रू-ब-रू चिमनलाल मीणा (R.A.S.)

बहाजरी श्री अजय मीणा एड. मिनजानिब मुद्दई व— ex-parte

—मिनजानिब मुद्दायलाह पेश होकर, हुक्म दिया जाता है व डिकरी दी जाती है कि

दावा वादी खारिज किया जाता है।

चीज— — —मुबलिग— — —बाबत— —

खर्चा इस मुकद्दमे के मय सूद व शरह— — —फीसदी सालाना आज की तारीख

से तारीख वसूलयाबी तक— — —को अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 04 माह 10 2019

को जारी की गई।

दस्तखत— 04/10/19

मुहर

ओहदा— उपखण्ड अधिकारी रामगंजमण्डी

मुद्दई	रुपया	पं.	मुद्दायलाह	रुपया	पं.
स्टाम्प अर्जीदावा ..			स्टाम्प वकालतनामा ..		
स्टाम्प वकालतनामा ..			स्टाम्प अर्जी ..		
स्टाम्प बजह सबूत ..			महनताना वकील पर ..		
महनताना वकील ..			खर्चा गवाहान ..		
खर्चा गवाहान ..			फीस कमिश्नर ..		
फीस कमिश्नर ..			बाबत इजराय हुक्मनामा ..		
बाबत इजराय हुक्मनामा ..			मुतफर्रिक ..		
मुतफर्रिक ..					
मीजान..	—	—	मीजान..	—	—

नोट:—इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरी के जरिये दिलाया गया हो या नहीं दर्ज करना चाहिये।

रा. मु. जो.-40-2004-1,00,000 प्र.

04/10/19
उपखण्ड अधिकारी
रामगंजमण्डी